



2026:AHC-LKO:14852-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 161/2026

राजेश कुमार

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राम जीवन और 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : हेमन्त कुमार मिश्र, अभिषेक मिश्रा, आरती गांगुली

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शिवानी सोनी, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1/2026 पर आदेश; विलंब क्षमादान हेतु आवेदन)



1. विरोधी पक्ष सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा आज दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार मिश्रा, विपक्षी सं.1 के विद्वान अधिवक्ता श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आकाश सिन्हा को सुना गया।

3. चूंकि अपीलकर्ता, जनहित याचिका सं. 283/2025 (राम जीवन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में रिट न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्ष सं. 6 था, परंतु उक्त याचिका का निर्णय दिनांक 07.04.2025 को बिना कोई नोटिस जारी किए और बिना उसकी सुनवाई किए ही कर दिया गया था; और विलंब क्षमादान के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलकर्ता को उक्त आदेश दिनांक 07.04.2025 तथा उसके अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा जारी किए गए परिणामी आदेशों के बारे में फरवरी, 2026 में ही पता चला; अतः, हमारी यह राय है कि इस अपील को दाखिल करने में हुए विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, हम अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करते हैं। विलंब क्षमादान का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(अपील ज्ञापन पर आदेश)

4. जहाँ तक अपील के गुण-दोष का प्रश्न है, हमारा यह मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अभिषेक गुप्ता बनाम दिनेश कुमार एवं अन्य** के मामले में **विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 35171-72, वर्ष 2025** में दिए गए निर्णय के मददेनजर अपीलकर्ता-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी सं. 6 यद्यपि रिट न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार था, परन्तु रिट न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई थी, अतः, विवादित आदेश के विरुद्ध यह अपील भी विचारणीय है; विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि उक्त आदेश में संबंधित पक्ष को 90 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

5. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, हमारी राय है कि अपीलकर्ता-विरोधी पक्ष सं. 6 का पक्ष उन्नाव के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना चाहिए और उसके बाद ही, अतिक्रमण हटाने की आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। रिट न्यायालय के आदेश में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, अपीलकर्ता-विरोधी पक्ष सं. 6 आज से दस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा कि अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए; इसके बाद, यदि आवश्यक हुआ तो तथ्यों का सत्यापन कराया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी।

6. अपील का निस्तारण उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

24 फरवरी 2026

पीयूष/-